रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032021-226251
CG-DL-E-30032021-226251

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 30, 2021/चैत्र 9, 1943
No. 172] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 30, 2021/CHAITRA 9, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि–पत्र

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

सा.का.नि. 221(अ).—भारत सरकार, सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 173 (अ) तारीख, 11 मार्च, 2021 द्वारा पृष्ठ संख्या 2 और 3 पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, -

(i) चौथे परन्तुक का लोप किया जाएगा ;

(ii) छठे, सातवें और आठवें परन्तुक के स्थान पर निम्न पढे –

“परन्तु यह और भी कि यान विनिर्माता, जो अनुप्रयुक्त पूर्णतया निर्मित इकाईयों (सीबीयू) या पूर्णतया नॉक्ड डाउन इकाईयों (सीकेडी), जो दांए हाथ के स्टियरिंग नियंत्रण यान है, का प्रत्यक्षत: या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से यथास्थिति, एम 1 या एल प्रवर्ग के यानो की 2500 इकाईयों का और अन्य प्रवर्गों के यानों की 500 इकाईयों का आयात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानकों का अनुपालन करते हैं, ऐसे यानों की अनुपालना को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक अनुपालन प्रमाणपत्र द्वारा नियम 47 के अधीन विक्रय और रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु यह और भी कि कृषि ट्रेक्टरों के अनुमोदन और प्रमाणीकरण के प्रकार के लिए प्रक्रिया समय समय पर यथा संशोधित मानक एआईएस-017 (भाग 2) (आरईवी.2) ; 2016 के अनुसार होगी ;

परन्तु यह और भी कि दांए हाथ के स्टियरिंग नियंत्रण वाले अनुप्रयुक्त यानों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक, अर्थात् ईईसी या ईसीई या जापानी मानक के हैं, जिनका भारत में पूर्णतया निर्मित इकाईयों (सीबीयू) के रूप में वैयक्तिक उपयोग, प्रदेर्शन, परीक्षण, अनुसंधान या वैज्ञानिक कार्यों के लिए आयात किया जाता है, ऐसे यानों की अनुपालन को किसी प्राधिकृत अभिकरण या प्रत्यायित प्रमाणन अभिकरण द्वारा जारी सुसंगत मानक अनुपालना प्रमाणपत्र द्वारा नियम 47 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थापित समझा जाएगा :

परंतु यह और भी कि संनिर्माण उपस्कर यान (सीईवी) का स्टियरिंग नियंत्रण किसी भी एक तरफ हो सकेगा :"

[फा. सं. आरटी-11036/63/2019-एमवीएल]
अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th March, 2021

G.S.R. 221(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 173 (E), dated the 11th March, 2021at page 19,-

(i) omit, the fourth proviso;

(ii) for the sixth, seventh and eight provisos, read –

"Provided also that in respect of vehicle manufacturer, importing into India unused completely built units (CBU) or completely knocked down units (CKD) of right hand steering control vehicles, directly or through their authorised representative, upto 2500 units of M1 or L category of vehicles, as the case may be, and up to 500 units of other categories of vehicles annually, compliant with international standard, namely EEC or ECE or Japanese, the compliance of such vehicle shall be deemed to be established for sale and registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency:

Provided also that the procedure for type approval and certification of agricultural tractors shall be in accordance with AIS-017 (Part 2) (Rev. 2): 2016 standard as amended from time to time:

Provided also that in respect of unused right-hand steering control vehicles compliant with the international standard namely, EEC or ECE or Japanese, imported into India as completely built units (CBU), for the purpose of personal use, demonstration, testing, research or scientific work, the compliance of such vehicles shall be deemed to be established for registration under rule 47, by a certificate of compliance for the relevant standard issued by an authorised agency or accredited certifying agency:

Provided also that the construction equipment vehicles (CEV) may have steering control on either of the side:

[F. No. RT-11036/63/2019-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.30 22:14:06 +05'30'